न्यायालय अपील प्राधिकरण एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 01/2026

1. रामस्वरूप उर्फ रामपाल पिता मोडू लाल अहिर निवासी बिजन बावडी के सामने बिजौलिया, जिला भीलवाडा।	**बनाम**	1. दीपक पुत्र राजस्वरूप अहिर। 2. प्रियंका पत्नि दीपक अहिर। 3. रवि पुत्र रामस्वरूप अहिर। 4. जगदीश चन्द्र पुत्र रामस्वरूप अहिर निवासीयान बिजन बावडी के सामने बिजौलियां थाना बिजौलियां जिला भीलवाडा।
——अपीलार्थी		——प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिजौलियां बमामले प्रकरण संख्या 198/2023 निर्णय दिनांक 25.11.2025

1. अपीलार्थी की ओर से जगदीश चन्द्र विजयवर्गीय, आरिफ अली उपस्थित।
2. प्रत्यर्थीगण की ओर से सरिता स्वर्णकार, बालुलाल उपाध्याय उपस्थित।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :20–05–2026

अपीलार्थी की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिजौलिया बमामले प्रकरण संख्या 198/2023 निर्णय दिनांक 25.11.2025 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया यह अपीलांट ने प्रार्थना पत्र उपखंड मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया जिसमे रेस्पोडेंटगण 1. दीपक पुत्र, 2. प्रियंका पुत्रवधु, 3. रवि पुत्र 4. जगदीश पुत्र है से भरण पोषण के 10,000/– अक्षरे दस हजार रुपये मासिक दिलाये जाने व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 से अपने स्वामित्व के मकान जो बिजन बावड़ी वाके ग्राम बिजोलियों में स्थित है इसकी प्रथम मंजिल पर निवास कर रहे है को खाली कराकर प्रार्थी अपीलांट के सिपुर्द कराने की इस्तदुआ की । प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से दिनांक 25/11/2025 को स्वीकार करते हुए विपक्षीगण पुत्रो से 7500/– अक्षरे सात हजार पांच सो रुपये दिलाने का आदेश दिया तथा मकान खाली करने का आदेश नहीं किया जिससे नाराज होकर यह अपील निम्न बिन्दुओं पर अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है जो अवश्य स्वीकार होगी।

1 यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने पूर्ण रूप से दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित किया की मकान अपीलांट की मिलकियत की है। जिसकी प्रथम मंजिल पर रेस्पोडेंट संख्या 1 दीपक व उसकी पत्नी प्रियंका निवास कर रहे है और अपीलांट जो बुजुर्ग (Older Person) माता–पिता है। उनके साथ झगडा फसाद मारपीट करते है और पुलिस कार्यवाही करके S.D.M. कोर्ट बिजोलियां में पाबंद कर रखा है तथा झूठे मुकदमे

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बलात्कार तक के पेश किये है ऐसे गंभीर आरोप लगाने के कारण अपीलांट अपने मकान में नहीं रखना चाहता है। अतः मकान खाली कराकर मुझ वृद्ध पिता के सिपुर्द कराये जाने की प्रार्थना की लेकिन इस तथ्य को नजर अंदाज कर कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन खाली कराने का आदेश न करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। अतः आदेश अपास्त कर मकान खाली कराने का अधिकारी है। यह कि रेस्पोडेंट पुत्र सभी अलग अलग रहकर कमाई कर रहे है और उनका दायित्व बनता है कि माता पिता के भरण पोषण हेतु गुजारा भत्ता देवे यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित होते हुए दोनों के भरण पोषण हेतु 7500/–अक्षरे सात हजार पांच सो रुपये दिलाने का आदेश दिया जो आज के महगाई के युग में अनुचित है इस राशि में दोनों पति पत्नी का गुजारा नहीं चलता इस तथ्य को नजरन्दाज कर आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की अतः आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

2– रेस्पोडेंट संख्या 1 दीपक कुल्हे की हड्डी का फेक्चर होने पर सम्पूर्ण ईलाज अपीलांट ने कराया एवं एक जीप खरीद कर कमाखाने हेतु अपीलांट ने दीपक के नाम से खरीद कर दी व D.J. का ब्याह शादी में व्यवसाय करता है हम भी सिर्फमात्र 1000/– अक्षरे एक हजार रुपये मासिक दिलाने का आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की अतः निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के सामने अपीलांट ने यह तथ्य साबित किया की मकान पर नल व बिजली लगी हुई है और उसका बिल का भुगतान पिता अपीलांट करता है जमा नहीं होने पर कनेक्शन काटा जा सकता है और कनेक्शन कटने की सूरत में अपीलांट बिजली व पानी से महरूम होगा बिजली नल की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जावे फिर भी इस तथ्य को नजरन्दाज कर आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की अतः आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय Perverse, Arbitrary And Caprasises होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलांट को रेपोडेंटगण से भरण पोषण भत्ता 10,000/– दस हजार रुपये मासिक दिलाया जावे एवं मकान में प्रथम मंजिल पर रेपोडेंट संख्या 1 व 2 रह रहा है जिसे बेदखल कर खाली कराकर अपीलांट के सिपुर्द करने का आदेश फरमाया जावे एवं मुकदमा खर्चा अलग से दिलाया जावे।

3– बाद जांच प्रकरण दिनांक 14.01.2026 को पजीबद्व किया जाकर प्रत्यर्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की। रिकॉर्ड प्राप्त। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित तथ्यो का दोहरते हुये निवेदन किया गया कि– यह अपील प्रथमदृष्टया ही अपूर्ण एवं दोषपूर्ण है, क्योंकि अपीलान्ट के दो पत्नियाँ थी जिन मे से प्रथम पत्नी का निधन हो चुका है और उसके तीन पुत्र है तथा दुसरी पत्नी अभी जिन्दा है जो अपीलान्ट के साथ निवास करती है के दो पुत्र है। अपीलान्ट ने अपनी दूसरी पत्नी से उत्पन्न दोनों पुत्रों को भरण पोषण के प्रार्थनापत्र में पक्षकार नहीं बनाया है के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुसरी पत्नी के दोनों पुत्रों के भी मासिक भरण पोषण का आदेश पारित हुआ है फिर भी अपीलान्ट ने अपील मे उनको जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है। अतः यह अपील Non-joinder of necessary parties के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

4– रेस्पोंडेंट संख्या 02 (पत्नी, रेस्पोंडेंट संख्या 01) को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 पर इस अधिनियम के तहत भरण पोषण

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

करने का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है और न ही अपीलान्ट ने अपने भरण पोषण के प्रार्थनापत्र मे रेस्पोडेन्ट सख्या 02 के विरूद्ध कोई भरण पोषण प्राप्त करनी की रिलिफ ही चाही है। फिर भी नाजायज रूप से परेशान करने की नियत से पक्षकार रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को बनाया है जबकि उसके विरुद्ध कोई स्वतंत्र दावा नहीं है। अतः यह अपील Mis-joinder of parties से ग्रसित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने एक तरफ तो आप न्यायालय मे भरण पोषण की राशि बढाने बाबत् अपील प्रस्तुत की हुई और दुसरी तरफ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण मे भरण पोषण की राशि की वसूली बाबत् कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 03 व 04 के विरूद्ध ही अमल में लायी जा रही है। अपीलान्ट की दुसरी पत्नी के दोनों पुत्रों के विरूद्ध भरण पोषण की राशि वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही है। अपीलान्ट केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 03 व 04 के विरूद्ध भरण पोषण की राशि की वसूली बाबत् कार्यवाही नहीं कर सकता है क्योंकि जिस भरण पोषण राशि का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया वह अस्पष्ठ एवं विधि विरूद्ध है।

5— अपीलांट की दो पत्नियाँ है। जिसमे प्रथम पत्नी का निधन हो चुका है। प्रथम पत्नी से तीन पुत्र (रस्पोंडेंट संख्या 1, 3, 4) है। द्वितीय पत्नी जो अभी जीवित है जो अपीलान्ट के साथ निवास करती है। जिसके दो पुत्र है, जिन्हें जानबूझकर अपीलान्ट ने न तो भरण पोषण के प्रार्थनापत्र में और न ही अपील में पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलान्ट के सभी पुत्रों पर तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये भरण—पोषण की राशि का निर्धारण नहीं किया है, क्योंकि अपीलान्ट व अपीलान्ट की दुसरी पत्नी व दोनों पुत्रों समी ने आपस मे मिलाभगति करके, जहा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 निवास कर रहे है उस पुश्तैनी मकान को अपीलान्ट ने षडयंत्र रचकर, धोखा देकर 11,00,000/— अक्षरे ग्यारह लाख रूपये मे दुसरी पत्नी के पुत्र को दौराने भरण पोषण प्रार्थनापत्र दिनांक 13—02—2025 को विक्रय कर दिया। जिससे साफ जाहिर होता है। जिससे साफ जाहिर होता है अपीलान्ट, उसकी दुसरी पत्नी व दुसरी पत्नी के दोनों पुत्रों के पास अपार धन राशि है। केवल मात्र अपीलांट ने केवल प्रथम पत्नी के पुत्रों को लक्षित कर उन्हें परेशान करने की गरज से यह अपील प्रस्तुत की है। अतः यह अपील दुराशयपूर्ण (malafide) होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा (राज.)

6— अपीलांट ने ग्राम मंडोल, तहसील बिजोलिया की पुश्तेनी कृषि आराजियात 25 बीघा विक्रय की थी। जिससे अपीलान्ट को लगभग 58,00,000/—रूपये प्राप्त हुये तथा अपीलान्ट ने बिजोलिया माइनिंग ऑफिस के पास पुश्तेनी प्लॉट का विक्रय किया था। जिससे अपीलान्ट को लगभग 5,50,000/— रूपये प्राप्त हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 03 व 04 की दादी सरकारी होस्पीटल में सेवारत थी जिसकी मृत्यु के बाद पेंशन की राशि भी अपीलान्ट ने प्राप्त की। उपरोक्त सम्पूर्ण आय से अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टगण की 1/—रूपये की भी कोई सहायता नहीं की तथा अभी हाल ही मे जानकारी मे आया कि अपीलान्ट व अपीलान्ट की दुसरी पत्नी व दोनों पुत्रों सभी ने आपस मे मिलाभगति करके, जहा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 निवास कर रहे है उस पुश्तैनी मकान को अपीलान्ट ने षडयंत्र रचकर, धोखा देकर 11,00,000/— अक्षरे ग्यारह लाख रूपये मे दुसरी पत्नी के पुत्र को दौराने भरण पोषण प्रार्थनापत्र दिनांक 13—02—2025 को विक्रय कर दिया। जिसके विक्रय पत्र की फोटोप्रति इस लिखित बहस के साथ में प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट को इतनी बड़ी धनराशि प्राप्त होने के बावजूद भरण—पोषण की राशि गलत तरीके से बढ़ाने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट ने तथ्यों का दुरुपयोग करते हुय न्यायालय को गुमराह करने की नियत से यह अपील पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

7– अपीलान्ट के द्वारा जिस मकान को खाली कराने का तथ्य भरण पोषण प्रार्थनापत्र व अपील मे प्रस्तुत किया है वह सम्पूर्ण मकान अपीलान्ट के कब्जे व अधिकार में है। जिसे अपीलान्ट व अपीलान्ट की दुसरी पत्नी व दोनों पुत्रों सभी ने आपस मे मिलाभगति करके, जहा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 निवास कर रहे है उस पुश्तैनी मकान को अपीलान्ट ने षडयंत्र रचकर, धोखा देकर 11,00,000/– अक्षरे ग्यारह लाख रूपये मे दुसरी पत्नी के पुत्र को दौराने भरण पोषण प्रार्थनापत्र दिनांक 13–02–2025 को विक्रय कर दिया। उक्त मकान की छत पर केवल मात्र एक कमरे मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 निवास करते है यह मकान पुश्तैनी संपत्ति (Ancestral Property) है, जिसमें रेस्पोंडेंट संख्या 1 जन्म से निवास करता चला आ रहा है तथा उक्त मकान के एक कमरे में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ उसकी पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 शादी के बाद से ही निवास करती चली आ रही हैं और उक्त मकान के एक कमरे के अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पास अन्य कोई आवास मकान/कमरा नहीं है।

8– अधीनस्थ न्यायालय ने 7500/– रूपये की भरण पोषण राशि निर्धारण किस आधार पर किया है यह आदेश मे स्पष्ट नहीं किया है और केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को विकलांग होने के कारण 1500/–रूपये के बजाय 1000/– रूपये, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को 1500/– रूपये व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 को 1500/– रूपये मासिक अदा करने का आदेश किया है। तीनों रेस्पोडेन्ट की कुलिया राशि 4000/– रूपये होती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने 7500/– रूपये भरण पोषण राशि का निर्धारण किया है बकाया भरण पोषण राशि जो 3500/– रूपये होती है। जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्पष्ठ वर्णन अपने आदेश में नहीं किया है और न दुसरी पत्नी के दोनों पुत्रों को कोई भरण पोषण राशि अदा करनी है, नहीं करनी, करनी तो किसी पुत्र को कितनी कितनी राशि अदा करनी। यह भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 के दिवार से नीचे गिर जाने के कारण कूल्हे की हड्डीयॉ मे फ्रैक्चर हो गया। जिसका अपीलान्ट द्वारा पूर्ण ईलाज नही कराने के कारण रस्पोडेन्ट संख्या 01 आज दिन तक स्वस्थ नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपना ईलाज अपनी स्वयं की बचत, रिश्तेदारों के सहयोग व पत्नी के सहयोग से करवाया जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कुल्हों का रिपलेसमेन्ट हुआ परन्तु वह पूर्ण तया सफल नहीं रहा। जिससे विपक्षी संख्या 01 हमेशा के लिये विकलांग हो गया जिसकी वजह से आज कोई कार्य करने के लायक नहीं रहा है। बेसाखी के सहारे मात्र से अपने नित्य कार्य करता है।

9– जीप संबंधी तथ्य यह है कि अपीलांट ने अपने प्रार्थनापत्र व अपील मे जिस पिकअप जीप का वर्णन किया है। वह अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को नहीं दिलायी और न ही अपीलान्ट ने पिकअप जीप की कोई धनराशि ही अदा की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त पिकअप जीप पर वाहन ऋण लिया हुआ है जिसकी किश्ते रेस्पोडेन्ट संख्या 01 आज भी अदा कर रहा है। उक्त वाहन से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जितना कमाता वह वाहन के मेन्टेनन्स में ही खर्च हो जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विकलांग व्यक्ति है वह स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। अतः अपीलांट द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर आप न्यायालय को भ्रमित करने के आशय से यह अपील प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है।

10– पूर्व आदेश एवं आचरण यह है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के साथ लडाई झगडा कर दोनों के साथ मारपीट की जिसे आहत होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने पुलिस मे शिकायत की जिस पर कार्यवाही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को दण्डित कर पाबन्द फरमाया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट का आचरण विवाद उत्पन्न करने वाला है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को पूर्णतः खारिज (Dismiss) किया जाए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरुद्ध पारित 1000/– रूपये, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के विरुद्ध 1500/– रूपये व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के विरूद्ध 1500/– रूपये मासिक के भरण पोषण की राशि के आदेश को अपास्त किया जाए क्योंकि अपीलान्ट ने अपनी दुसरी पत्नी के पुत्रों को जिनके पास अपार धनराशि होते हुये भी भरण पोषण के प्रार्थनापत्र मे संयोजित नहीं किया गया तथा अनावश्यक पक्षकार रेस्पोडेन्ट संख्या को 02 हटाया जावे एवं अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट्स को परेशान करने का दृष्टिगत व्यय (Costs) भी दिलवाया जाए। अन्य कोई उचित आदेश जो न्यायालय उचित समझे, पारित किया जाने का निवेदन किया गया।

11– अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए अपनी बहस में निवेदन किया गया कि– अपीलांट ने पूर्ण रूप से दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित किया की मकान अपीलांट की मिलकियत की है। जिसकी प्रथम मंजिल पर रेस्पोडेंट संख्या 1 दीपक व उसकी पत्नी प्रियंका निवास कर रहे है और अपीलांट जो बुजुर्ग (Older Person) माता–पिता है। उनके साथ झगडा फसाद मारपीट करते है और पुलिस कार्यवाही करके S.D.M. कोर्ट बिजोलियां में पाबंद कर रखा है तथा झूठे मुकदमे बलात्कार तक के पेश किये है ऐसे गंभीर आरोप लगाने के कारण अपीलांट अपने मकान में नहीं रखना चाहता है। मकान खाली कराकर मुझ वृद्ध पिता के सिपुर्द कराये जाने की प्रार्थना की लेकिन इस तथ्य को नजर अंदाज कर कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन खाली कराने का आदेश न करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। रेस्पोडेंट पुत्र सभी अलग अलग रहकर कमाई कर रहे है और उनका दायित्व बनता है कि माता पिता के भरण पोषण हेतु गुजारा भत्ता देवे यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित होते हुए दोनों के भरण पोषण हेतु 7500/–अक्षरे सात हजार पांच सो रुपये दिलाने का आदेश दिया जो आज के महगाई के युग में अनुचित है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलांट को रेपोडेंटगण से भरण पोषण भत्ता 10,000/– दस हजार रुपये मासिक दिलाया जावे एवं मकान में प्रथम मंजिल पर रेपोडेंट संख्या 1 व 2 रह रहा है जिसे बेदखल कर खाली कराकर अपीलांट के सिपुर्द करने का आदेश फरमाया

12– प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया गया कि–अपीलांट की दो पत्नियाँ है। जिसमे प्रथम पत्नी का निधन हो चुका है। प्रथम पत्नी से तीन पुत्र (रस्पोंडेंट संख्या 1, 3, 4) है। द्वितीय पत्नी जो अभी जीवित है जो अपीलान्ट के साथ निवास करती है। जिसके दो पुत्र है, जिन्हें जानबूझकर अपीलान्ट ने न तो भरण पोषण के प्रार्थनापत्र में और न ही अपील में पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलान्ट के सभी पुत्रों पर तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये भरण–पोषण की राशि का निर्धारण नहीं किया है, क्योंकि अपीलान्ट व अपीलान्ट की दुसरी पत्नी व दोनों पुत्रों समी ने आपस मे मिलाभगति करके, जहा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 निवास कर रहे है उस पुश्तैनी मकान को अपीलान्ट ने षडयंत्र रचकर, धोखा देकर 11,00,000/– अक्षरे ग्यारह लाख रूपये मे दुसरी पत्नी के पुत्र को दौराने भरण पोषण प्रार्थनापत्र दिनांक 13–02–2025 को विक्रय कर दिया। अपीलान्ट, उसकी दुसरी पत्नी व दुसरी पत्नी के दोनों पुत्रों के पास अपार धन राशि है। केवल मात्र अपीलांट ने केवल प्रथम पत्नी के पुत्रों को लक्षित कर उन्हें परेशान करने की गरज से यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने 7500/– रूपये की भरण पोषण राशि निर्धारण किस आधार पर किया है, यह आदेश मे स्पष्ट नहीं किया है और केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

को विकलांग होने के कारण 1500/–रूपये के बजाय 1000/– रूपये, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को 1500/– रूपये व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 को 1500/– रूपये मासिक अदा करने का आदेश किया है। तीनों रेस्पोडेन्ट की कुलिया राशि 4000/– रूपये होती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने 7500/– रूपये भरण पोषण राशि का निर्धारण किया है बकाया भरण पोषण राशि जो 3500/– रूपये होती है। जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्पष्ठ वर्णन अपने आदेश में नहीं किया है और न दुसरी पत्नी के दोनों पुत्रों को कोई भरण पोषण राशि अदा करनी है, नहीं करनी, करनी तो किसी पुत्र को कितनी कितनी राशि अदा करनी। यह भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्षों अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि– अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों में उक्त कानूनी प्रावधानों विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में क्या त्रुटी रही है, ऐसा कोई विशिष्ठ कथन नहीं किया हैं जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाद एवं उपरोक्त कानूनी प्रावधानो के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अनवानी प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2025 विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थी की मौजूदा अपील को स्वीकार योग्य नही ठहरती है। अतएव।

:: आदेश ::

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 29.12.2025 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिजौलियां द्वारा पारित आदेश क्रमांक 198/2023 दिनांक 25.11.2025 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को तलबिदा रिकॉर्ड मय निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा